न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 146/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राजाराम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बंवरला तहसील डेगाना जिला नागौर।		1संतोष पत्नी ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी बंवरला तहसील डेगाना। 2शोभा पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी ई–302, नवघर रोड, मानपसंद शोप भयन्दर पूर्व ठाणे महाराष्ट्र। 3सरस्वती पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी 169 सूरत सिटी उतर 4भगवती प्रसाद पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बंवरला तह. डेगाना। 5संतोष कुमार पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बंवरला तह. डेगाना। 6तहसीलदार, डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानाराम सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. कांता बोथरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।
4. श्री गोपाल डूडी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से।
5. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.03.2021

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा ग्राम बंवरला के नामान्तरकरण सं. 92 निर्णय दिनांक 13.06.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.10.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.10.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है, 3 की ओर से कांता बोथरा अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से श्री गोपाल डूडी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 13.06.2016 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को नही थी। उक्त नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत भरा गया। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 06.10.16 को हुई। जिस पर तत्काल नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 07.10.16 को सांय प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 08.10.16 से अवकाश होने के कारण अपीलार्थी दिनांक 13.10.16 को नागौर आया तब तक न्यायालय का समय समाप्त हो जाने से यह अपील दिनांक 14.10.16 को प्रस्तुत की गई। इसलिये उक्त अपील को अंदर मयाद शुमार की जाना उचित एवं न्याय संगत है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन म्यूटेशन खिलाफ कानून व तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 दोनो ही विवाहित पुत्रियां है जिनका विवाह दिनांक 30.06.82 को हो गया तब से वह अपने ससुराल निवास करती आ रही है कभी भी उक्त खेताय पर काश्त नही किया व न ही उनका किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त ही है तथा खेत अविभक्त है। जिसका भौतिक विभाजन नही हुआ। ऐसी स्थिति मे प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 को खेत का विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। फिर भी गलत रूप से बिना अधिकार के खेत का विक्रय किया है तथा गलत रूप से अवैध विक्रय पत्र के आधार पर विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे बाबत कोई जांच नही की व न ही अन्य खातेदारान को किसी भी प्रकार का नोटिस ही जारी किया व बिना सुनवायी का अवसर दिये व बिना सुनवायी किये गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है तथा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नही की है। इसलिये भी अपीलाधीन म्यूटेशन विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योगय है।

{2}(IV)–खेत अविभक्त खेत है जिस पर शामिलाती कब्जा काश्त है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 का किसी भी प्रकार का कब्जा नही रहा व न ही प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 ने प्रत्यर्थी सं. 1 को कब्जा ही सुपुर्द किया है। ऐसी स्थिति मे प्रत्यर्थी सं. 1 का उक्त खेताय पर किसी भी भाग पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। इसलिये विवादित नामान्तरकरण कब्जे के अभाव मे भरा गया है तथा कब्जा बाबत कोई जांच नही की गई है। ऐसी स्थिति मे विवादित अपीलाधीन म्यूटेशन विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–उक्त खेताय मे प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही है तथा बिना हक अधिकार के उक्त भूमि का विक्रय किया है तथा गलत रूप से हिस्सा बताकर व गलत तथ्य अंकित करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित किया है जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही होते हुए भी मिथ्या कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य अंकित करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित किया है जो विक्रय पत्र भी अवैध व शून्य विक्रय पत्र है तथा प्रत्यर्थी सं. 1 को किसी भी प्रकार का कब्जा नही है। इसलिये भी अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–उक्त खेताय अपीलार्थी व उसके भाईयो ने काश्त करने हेतु वर्षो से बोने हेतु अन्य व्यक्ति को दिया हुआ है जिसका मौके पर कब्जा है तथा प्रत्यर्थी सं. 1 गलत रूप विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा करने पर आमादा है जबकि मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। ऐसी स्थिति मे बिना कब्जा के बिना अधिकार के विक्रय पत्र किया गया है तथा गलत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VII)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने उनके हक मे मौखिक हक त्याग कर दिया था। जिससे उनको यह भूमि विक्रय करने का कतई अधिकार नही रहा है। इसलिये नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किया जाना चाहिये।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि आराजी भूमि हेतु रिकार्डेड खातेदार शोभा एवं सरस्वती रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2016 के बेचान करने पर नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 13.06.16 को स्वीकृत हुआ है। जो विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को यह भूमि उतराधिकार से प्राप्त हुई है। जिन्हे विक्रय करने का उन्हे अधिकार निहित होने से ही विक्रय किया है। जो सही है। हक त्याग कभी भी जुबानी नही होता है। इस संबंध मे अपीलांट का कथन गलत है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 स्व. भंवरलाल के वारिसान (पुत्र एवं पुत्री) है तथा उतराधिकार मे मिली सम्पति का हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को बेचान किया गया है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है। जो विधि सम्मत है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा बंवरला के नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 13.06.2016 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेकर्डेड खातेदार रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 शोभा एवं सरस्वती ने अपनी खातेदारी भूमि मे निहित हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को दिनांक 01.06.2010 को जरिये पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2016 के दौरान दिनांक 13.06.2016 को स्वीकृत किया गया है। जो विधिसम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर